

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-11-25	<p style="text-align: center;"><b>सीताराम बनाम सरकार</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा वास्ते घोषणात्मक व चिर निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। जिसमें अपीलांट ने अपने पुख्ता आवंटन भूमि वाके चक 1 पी.बी. के मुरब्बा नम्बर 126/7 के किला नम्बर 1 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 126/15 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 50 बीघा भूमि अपीलान्ट को पूर्व में पुख्ता आवंटन थी। जिसकी घोषणा बाबत उक्त वाद प्रस्तुत किया था। उक्त वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने एक साथ अपने निर्णय की औपचारिकता पूर्ण करते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व सारी कानुनी प्रक्रिया अपनाते हुए पहले स्टेट का जवाब लेना चाहिए था। उसके बाद तनकीयात कायम करके उचित अवसर देकर सम्पूर्ण साक्ष्य लेकर ही वाद का निस्तारण करना चाहिए था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने महज अपने निर्णय की औपचारिकता पूर्ण करते हुए पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-05-2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को रिमाण्ड किया जावे।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करत हुए कथन किया कि अपीलांट को उक्त अपीलाधीन आदेश के बारे पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी ना ही अधीनस्थ न्यायालय में नियुक्त एडवोकेट द्वारा अपीलान्ट को निर्णय के बारे में बतलाया गया सर्वप्रथम दिनांक 22/3/2021 को अधीनस्थ</p>	





न्यायालय में जाकर अपने द्वारा दायर वाद के बारे में जानकारी हासिल करने पर अमला दराज द्वारा वाद का निर्णय दिनांक 20/6/2018 को होना बतलाया अपीलान्ट ने उसी दिन नकल के लिए आवेदन कर दिया जो नकल बाद तैयारी दिनांक 23/3/21 को मिली इस प्रकार अपील इल्म के दिन से अन्दर मियाद पेश है अपील पेश करने में जो देरी हुई वह जानकारी के अभाव में माफी योग्य है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 89, 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया है जबकि अपीलांट का प्रकरण पुख्ता आवंटन संबंधित है। उक्त धारा के अन्तर्गत अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रकरण की पूर्ण जाँच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

राजकीय अभिभाषक ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर



प्रकरण में गुणावगुण से पूर्व मियाद का बिन्दू तय किया जाना है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-05-2018 के विरुद्ध अपील दिनांक 20-06-2021 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। जिसके जवाब में कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं है। अपीलांट उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 22-03-2021 को हुई है। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट ने जान बूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं की जगह गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। विधि की भी यही मंशा है कि केवल मात्र तकनीकी बिन्दु अथवा पक्षकार की अज्ञानता में कोई न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न ने अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व उसके साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 23-05-2018 के द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया कि "वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रकरण पुख्ता आवंटन से संबंधित है। जिसमें आर्टी एक्ट की धारा 88, 89, 188 के तहत कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही

आवंटन नियमों में आवंटन शाखा द्वारा कार्यवाही की जाती है।  
अतः पत्रावली आवंटन शाखा को स्थानान्तरित की जावे। जरिये  
स्थानान्तरण पत्रावली फेसल शुमार की जावे।”

प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 88, 89, व 188 का अवलोकन किया  
जाना उचित है—

**Section 88 Suits for declaration of right-**

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy. (2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant. (3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

**Section 89 Suit as to class of tenancy etc-**

At any time during the continuance of a tenancy. the tenant or a landholder other than the State Government may sue for declaration as to all or any of the following matters. namely:- (a) the class to which the tenant belongs. (b) the area. numbered plots or boundaries of the holding. (c) the rent payable in respect of the holding-and the manner in which it is payable: (d) in the case of rent payable in case. the dates on which and the instalments in which it is payable. (e) in-the case of rent payable in kind. the time place and manner of appraisement.



division or delivery of the crops. (f) in the case of a Gair Khatedar tenant or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant. the term for which the tenancy is to run. and. (g) any special conditions not inconsistent with the provisions of this Act.

**Section 188 Injunction against wrongful ejectment-**


(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction. (2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely- (a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion; (b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief; (c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion. (d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

उक्त प्रकरण अपीलांत द्वारा चक 1 पीबी के मुरब्बा नम्बर 126/7 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि व मुरब्बा नम्बर 126/15 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 50 बीघा भूमि के पुख्ता आवंटन से संबंधित है। अपीलांत द्वारा इस भूमि बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रकरण आवंटन नियमों के परिधि की परिधि में आने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को आवंटन शाखा में स्थानान्तरित करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन





आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-05-2018 यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। ~~क्या पुस्तक आवंटन~~

  
(उम्मेद सिंह रतनू)  
राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर